न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1828–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्र0क0 74/10–11/निगरानी

---

1 श्यामसुंदर पिता घीसालाल गोयल
2 श्रीमती विमलाबाई पति श्री फुलचन्द गोयल
दोनों निवासी सेंधवा तहसील सेंधवा जिला बडवानी म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीमती सावित्रीबाई पति गिरधारीलाल महाजन
2 शरदचन्द पिता श्री चम्पालाल सोनी
3 कमलचन्द पिता श्री चम्पालाल सोनी
4 सुनील पिता श्री चम्पालाल सोनी
5 अनिल पिता श्री चम्पालाल सोनी
सभी निवासी सेंधवा तहसील सेंधवा
जिला बडवानी म0 प्र0

.......अनावेदकगण

श्री एच0 एन0 फडके, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री वी0 के0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2 से 5 तक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 15 अक्टूबर, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 28–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि सेंधवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 187/3/1 एवं 190/7 रकबा क्रमशः 1.10 एकड़ एवं 1.90 एकड़ की वह भूमिस्वामी है । उसके द्वारा सीमाकंन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि सर्वे क्रमांक 187/3/1 रकबा 0.80 एकड़ पर आवेदकगण द्वारा तोलकाटा एवं गोदाम बनाकर अवैध कब्जा किया गया है तथा सर्वे क्रमांक 190/7 रकबा 1.40 एकड़ पर अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा सीमेंन्ट के खंबे लगाकर अवैध कब्जा किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का रिक्त आधिपत्य आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 से दिलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/09–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 20–9–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों से 7 दिवस में कब्जा हटाकर अनावेदक क्रमांक 1 को देने हेतु संहिता की धारा 38 के तहत आदेश जारी होने के निर्देश दिये गये । साथ ही कस्बा पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक सेंधवा को मौके पर अनावेदिका क्रमांक 1 को कब्जा दिलवाने हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये तथा प्रकरण पालन प्रतिवेदन बाद समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड होने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–10–2010 को स्थगन आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश का कियान्वयन पुनः सीमाकंन होने तक स्थगित किया जाकर सीमाकंन करने हेतु विशेष टीम गठित की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–9–2010 को यथावत रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–10–2010 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई

थी। उक्त निगरानी के आधार पर न्यायालय को केवल यह देखना था कि क्या अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सीमांकन हेतु दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने बाबत् जो अंतरिम आदेश पारित किया है वह उचित है अथवा नहीं । इसके विपरीत अपर आयुक्त ने प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2010 को यथावत् रखे जाने संबंध में जो निष्कर्ष दिये है, वे क्षेत्राधिकार विहिन होकर प्रश्नाधीन आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अभी विचाराधीन है, इस कारण अपर आयुक्त न्यायालय को प्रकरण के गुणदोष के संबंध में निर्णय पारित करने का कोई अधिकार भी नहीं था और ना ही गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जा सकता था । इसके विपरीत प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करते हुऐ जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से अवैध एवं अधिकार विहिन होने से निरस्ती के योग्य है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय के द्वारा अवैध सीमाकंन के आधार पर अनावेदकगणों के पक्ष में आदेश पारित किया है । उक्त आदेश को केवल मात्र स्थगित रखा जाना आवश्यक था, जिस बाबद् अनुविभागीय अधिकारी ने योग्य आदेश पारित किये है, किन्तु इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पुनः सीमाकंन किये जाने बाबत् जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य था किन्तु उक्त आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर विश्लेषण कर तहसील न्यायालय के आदेश को भी यथावत रखने बाबत जो आदेश अपर आयुक्त ने पारित किया है, वह निरस्ती योग्य है ।

(4) अनावेदकगणों के द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध दिनांक 10–6–2007 को तथाकथित रूप से किये गये सीमांकन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था । उक्त सीमांकन की कार्यवाही का मौका पंचनामा दिनांक 17–3–2007 को बनाया गया है तथा नजरी नक्शा दिनांक 31–5–2007 को बनाया गया है । सीमांकन की कार्यवाही की कोई भी सूचना आवेदकगण पर निर्वाहित की गई हो, इसका कोई भी प्रमाण अभिलेख पर अनावेदकगणों के

द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन सीमांकन ही जब अवैध है, तो उसके लिये नई साक्ष्य एकत्रित कर पुनः सीमांकन किये जाने बाबत् जो निर्देश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिये गये है, वे विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य थे उसके उपरान्त भी उक्त आदेश को एवं तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखने में गंभीर वैधानिक भूल की है ।

(5) जिस सीमांकन के आधार पर अधिनस्थ तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 20–9–2010 को आदेश पारित किया गया है, वही सीमांकन अपीलीय न्यायालय को देखना है तथा उसी सीमांकन के आधार पर निर्णय पारित करना है । नया सीमांकन प्रकरण में नये वाद कारण को निर्मित करता है तथा नये सीमांकन के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत वाद का अपीलीय न्यायालय के द्वारा निराकरण किया जाना संभव ही नहीं है । इस वैधानिक दृष्टि पर विचार ना करते हुए अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पुनः सीमांकन किये जाने के जो आदेश पारित किया गया है, उसे यथावत रखने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन के मौका पंचनामा में आवेदकगण का तोलकांटा एवं गोदाम कितनी भूमि में बना है इसका किंचित मात्र भी उल्लेख नहीं है तथा उक्त स्थान रिक्त दर्शाया गया है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः सीमांकन का आदेश पारित करने में भूल हुई है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का तोलकांटा एवं गोदाम विगत 10 वर्षों से बना हुआ होने का स्पष्ट प्रमाण एवं उल्लेख साक्ष्य में आया है, इस कारण प्रश्नाधीन प्रकरण धारा 250 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की परिधि में आता ही नहीं है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः नये सिरे से सीमांकन करने के आदेश पारित करने में भूल की है । स्वंय अनावेदक क्रमांक 1 के आम मुख्त्यार संजय के द्वारा अपने कथन के परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर प्रार्थी का तोलकाटा व गोडाउन निर्मित होने की जानकारी विगत 10 वर्षों से रही है । ऐसी स्थिति में अवैध सीमांकन के आधार पर वाद कारण निर्मित होना दर्शाते हुए अनावेदक के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 250 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता का वाद स्पष्ट रूप से

अवधि बाधित होते हुए भी उक्त आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ने गंभीर वैधानिक भूल की है ।

(8) धारा 250 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत सीमाकंन के आधार पर प्रस्तुत वाद में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि उक्त सीमांकन की कार्यवाही विपक्षी को सूचना देने के उपरान्त की गई है । प्रश्नाधीन सीमाकंन की कोई भी सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है । यह प्रमाणित होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा नये सिरे से सीमांकन किये जाने हेतु दल का गठन करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का पुनः सीमांकन किये जाने बाबत् जो आदेश पारित किया है, उसे यथावत रखने में गंभीर वैधानिक भूल की है ।

(9) अधीनस्थ तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 ने प्रकरण में कोई कथन दिये नहीं है तथा अनावेदक कमांक 2 के द्वारा अपने कथन से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन तोलकांटा एवं गोदाम का निर्माण आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण की भूमि में किया गया है।

(10) तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 ने जो उसके स्वामित्व की भूमि का विकय पत्र प्रस्तुत किया है । उसमें दर्शाई चतुःसीमा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 की भूमि जिस स्थान पर होना वह दर्शा रहा है उस स्थान पर स्थित ही नहीं है । प्रकरण में प्रस्तुत नक्शे को देखने से भी यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि सर्वे नंबर 187/3/1 की भूमि आवेदकगण के सर्वे नंबर 188/2 के आगे स्थित ही नहीं हो सकती है । इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 की सर्वे नंबर 187/3/1 की भूमि के किसी भी भाग पर उनका आधिपत्य है ही नहीं तथा आवेदकगण को अनावश्यक रूप से प्रताडित करने के एकमात्र उद्देश्य से यह असत्य वाद अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्ती के योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1995 राजस्व निर्णय 214, 2006 (2) एमपीएचटी 2511 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी, सेंधवा के द्वारा आवेदकगण के निवेदन पर सीमाकंन की टीप बुलाने का आदेश दिनांक 7–10–2010 को दिया गया था । उसके बाद से लगाकर

आज तक लगभग 4 वर्ष से ज्यादा समय से आवेदकगण कभी अपर आयुक्त कभी राजस्व मण्डल में कार्यवाही करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के यहां लंबित उसकी स्वंय की अपील का निराकरण नहीं होने दे रहे है, यह आवेदकगण की दुर्भावना को परिलक्षित करता है, इसलिये उनकी निगरानी निरस्त की जावे ।

(2) तहसीलदार, सेंधवा द्वारा सीमाकंन की कार्यवाही वैधानिक रूप से की गयी थी, जिसमें उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी किया गया था एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में ही सीमांकन हुआ है तथा सीमाकंन के पश्चात ही विपक्षी कमांक 1 मूल प्रार्थीनी को यह ज्ञात हुआ था कि उसकी भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य है, इसी बिन्दु को उचित मानने में तहसीलदार सेंधवा द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी ।

(3) संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में तहसीलदार सेंधवा के यहां आवेदकगण द्वारा सीमाकंन की कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं दी गई । ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार सेंधवा के यहां किया गया सीमाकंन अंतिम था, जिसके आधार पर धारा 250 की कार्यवाही में उभयपक्षों को विचारण का पूर्ण अवसर देते हुऐ तहसीलदार, सेंधवा के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है एवं उसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया वह उचित था ।

(4) आवेदकगण द्वारा प्रकरण को विलंबन में डालने की मंशा से यह याचिका पेश की गयी है, जो निरस्ती योग्य है ।

(5) आवेदकगण द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गयी है वह अनुविभागीय अधिकारी के यहां अंतिम हो चुका है । ऐसी परिस्थिति में यह निगरानी मेन्टेनेबल नहीं है ।

(6) आवेदकगण के द्वारा स्वंय एसडीओ सेंधवा के समक्ष सीमाकंन कराने की बात कही गई थी, जिसके अनुसार ही एसडीओ के द्वारा सीमाकंन की टीप बुलायी गयी थी । ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण को उसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होने से यह निगरानी मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्ती योग्य है ।

(7) अपर आयुक्त इंदौर द्वारा आवेदकगण की निगरानी को उचित विचारण कर निरस्त किया है । ऐसी परिस्थिति में अपर आयुक्त इंदौर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होकर आवेदकगण की निगरानी निरस्त की जावे ।

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत निगरानी मात्र कानूनी बिन्दु पर ही सुनी जा सकती है, जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई भी कानूनी बिन्दु नहीं है, फिर भी इस विपक्षी को परेशान करने की मंशा से यह निगरानी पेश की गयी है, इसलिये इस विपक्षी को आवेदकगण की ओर से रूपये दस हजार क्षतिपूर्ति दिलायी जावें एवं इस प्रकरण का व्यय भी आवेदकगण से दिलाया जावे ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन दिया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सीमांकन पंचनामा दिनांक 17–3–2007 में सीमाकंन के समय आवेदकगण के उपस्थित होने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही सीमाकंन पंचनामें में उनके हस्ताक्षर है । सीमाकंन पंचनामा में इस आशय का उल्लेख भी नहीं है कि आवेदकगण को सीमाकंन की सूचना दी गई है और वे सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं हुये है । स्पष्ट है सीमाकंन आवेदकगण की अनुपस्थिति में उनके पीठ पीछे किया गया है और अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि आवेदकगण की भूमि में निकाली गई है, इससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हुई है । क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जब आवेदकगण की भूमि में अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि निकल रही थी तब उनकी उपस्थिति में ही सीमांकन किया जाना चाहिये था अथवा यह सुनिश्चित करते हुये स्पष्ट उल्लेख स्थल पंचनामा में किया जाना चाहिये था कि आवेदकगण को विधिवत सूचना की तामीली की गई है और वे सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहे है । स्थल पंचनामा से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे क्रमांक 187, 188 एवं 189 स्थित तिमेढ़े को आधार मानकर प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया गया है, जबकि स्थाई सीमा चिन्ह चांदे आदि को आधार मानकर सीमांकन किया जाना चाहिये था । आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 10–6–2007 को सीमाकंन कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । दिनांक 10–6–2009 को राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । सीमाकन प्रकरण में

अंतिम सीमांकन आदेश पारित होना परिलक्षित नहीं होता है । वैधानिक दृष्टि से अनावेदक कमांक 1 को सीमाकंन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर अंतिम रूप से पारित सीमांकन आदेश के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–9–2010 को आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–10–2010 को अंतरिम रूप से स्थगन आदेश पारित करते हुये आवेदकगण के अनुरोध के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों के पुनः सीमांकन का आदेश देकर पुनः सीमांकन होने तक तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–9–2010 का कियान्वयन स्थगित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही को विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को आवेदकगण के अनुरोध पर अंतरिम तौर से स्थगन आदेश पारित कर पुनः सीमांकन के आदेश नहीं देकर केवल स्थगन आदेश जारी करना था और प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना था और यदि उनके मत में सीमांकन अवैध पाया जाता तब प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण पुनः सीमाकंन हेतु प्रत्यावर्तित करना था । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2010 को यथावत रखा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमि का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा सीमांकन किया जा चुका है और सीमाकंन दल द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व में किये गये सीमांकन को उचित ठहराया गया है, इसलिये अतः तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली का आदेश विधिसंगत है, परन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गठित सीमांकन दल द्वारा दिनांक 30–11–2010 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि सर्वे कमांक 187 / 3 / 1 रकबा 1.10 एकड़ मौके पर विवादित होने से उच्च अधिकारी जिला बड़वानी से सीमाकंन कराया जाना उचित होगा अथवा पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये

सीमांकन रिपोर्ट को उचित माना जाना उचित प्रतीत होता है । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–12–2010 को सीमांकन दल से स्पष्ट टीप मांगी गई है, तब सीमाकंन दल द्वारा पूर्व में राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को उचित मानने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । इससे यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में गठित सीमांकन दल द्वारा पुनः प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 187/3/1 का सीमांकन नहीं किया गया है और जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है पूर्व में दिनांक 17–3–2007 को किया गया सीमांकन अवैधानिक था। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का तोलकाटा एवं गोदाम बना होने की जानकारी अनावेदक कमांक 1 के मुख्यत्यारआम संजय को 10 वर्ष से रही है और इस तथ्य को उसके द्वारा अपने कथन में स्वीकार भी किया गया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 सहपठित संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार वाद कमांक 10ए/01 की प्रतियां एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 9–3–2004 की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है । जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 187/1/3 सहित सर्वे कमांक 190/7 कुल 3 एकड़ भूमि के स्वत्व घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि अदम पैरवी में निरस्त हुआ है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि तहसीलदार सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का नये सिरे से पुनः सीमांकन करायें । तदोपरान्त संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष पर निराकरण करें । गुणदोष पर निराकरण के समय इस बिन्दु पर भी विचार करें कि क्या अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन भूमि पर गोदाम एवं तोलकाटा बना होने की जानकारी 8–10 वर्ष से थी अथवा नहीं और ऐसी स्थिति में क्या संहिता की धारा 250 इस

प्रकरण में लागू होती है अथवा नहीं । साथ ही व्यवहार न्यायालय के आदेश का भी आदेश पारित करते समय परीक्षण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2013, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2010 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2010 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर